(ख) इन शरणार्थियों में से, इस समय 1,08,960 शरणार्थियों, 189 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं (188 शरणार्थी शिविर तमिलनाडु में और एक शिविर मलकान गिरि, जिला कोरापुट, उड़ीसा में)।

(ग) हाल ही में भेजे गए जहाजी बेड़ों में (20 जनवरी, 1992 से) अभी तक सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत 4,049 शरणार्थी श्रीलंका वापस गए हैं; और

(घ) तमिलनाडु सरकार को यह निदेश दिए गए हैं कि केवल उन्हीं शरणार्थियों को श्रीलंका भेजा जाए जो श्रीलंका लौटने के इच्छुक हों। श्रीलंका के प्राधिकारियों की सहमति मिलने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को इस आशय के आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं कि केवल उन्हीं क्षेत्रों के शरणार्थियों को भेजा जाय, जहां शांति स्थापित हो गई है तथा जो श्रीलंका के प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन हैं। तदनुसार, शरणार्थियों (श्रीलंका सरकार के कर्मचारी और ट्रींको माली और मन्नार द्वीप समूह के रहने वाले शरणार्थी (को अब तक छः बेचों में वापस भेजा गया है)।

दिल्ली के लिए राज्य का दर्जा

257. **श्री राघवजी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने वाले विधान के अधिनियम के पश्चात् दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए अब तक और आगे क्या कदम उठाए गए है; और

(ख) दिल्ली विधान सभा के चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन, अधिनियम, 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधान सभा की व्यवस्था है और इस प्रकार की विधान सभा की सीटों को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव कराके भरा जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण से संबंधित उपबंध 1-2-1992 से लागू किए गए हैं। चुनाव आयोग से निर्वाचित क्षेत्रों का सीमांकन करने का अनुरोध किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमानिर्धारण का कार्य पूरा होने के बाद विधान सभा के लिए चुनाव कराए जायेंगे।

उग्रवाद, आतंकवाद आदि में सम्मिलित व्यक्ति

258. **श्री राघवजी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी इत्यादि गतिविधियों में अनुमानतः कितने व्यक्तियों के सम्मिलित होने की आशंका है; और

(ख) इन गतिविधियों से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या सहायता दी जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने और ठोस उपाय करने का कार्य राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवाद-विरोधी अभियानों को समन्वित करने और आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में लाभप्रद सूचना को राज्यों के बीच सम्प्रेषित करने के कार्य में सुधार करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में जब कभी अपेक्षित होता है, राज्य सरकारों को सभी सम्भव सहायता दी जाती है।